राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–प.5 (1) निपेवि/नियम/99/पार्ट–3/ 3267-3306-H दिनांक: 06-11-2015

कोषाधिकारी,

समस्त राजस्थान,

विषयः– आधार प्रमाण–पत्र पर आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (2) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 02.07.2015 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 134 एवं 136 मे संशोधन कर आधार कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में राज्य सरकार के ज्ञापन संख्या एफ. 12 (2) एफडी / रूल्स/2008 दिनांक 19 अक्टूबर 2015 द्वारा jeevanpramaan.gov.in को डिजिटल जीवन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार अब राजस्थान राज्य के सिविल पेंशनर अपना जीवन प्रमाण–पत्र किसी भी **कॉमन सर्विस सेन्टर / ई–मित्र कियोस्क पर जाकर या अपने इंटनेट आधारित पर्सनल कम्प्यूटर मय बायोमेट्रिक डिवाईस के द्वारा** उक्त वैब साईट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट पर प्राप्त बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सर्वप्रथम पेंशन पोर्टल (http.pension.raj.nic.com) पर सग्रंहित होंगे। इस डाटा को कोषाधिकारी द्वारा अपनी यूजर आईडी के माध्यम से देखा जावेगा तथा नाम, पी.पी.ओ संख्या एवं बैंक खाता संख्या की समानता होने पर सत्यापित किया जाना है। जिन जीवन प्रमाण प्रपत्रों के नाम में सामान्य अन्तर जैसे मोहित कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर एम. के. खण्डेलवाल अथवा Dhannalal के स्थान पर Dhanalal, जगदेव सिंह के स्थान पर जगदेव सिंह राठौड अंकित है तो उसकी सरसरी जांच करके सत्यापित किया जाना है ताकि वास्तविक पेंशनर को पेंशन का समय पर भुगतान हो सके। तदोपरान्त सम्बन्धित बैंक पेंशन पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी से लोगिन कर सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र को ऑन लाइन देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

अतः आप से अनुरोध है कि पेंशन पोर्टल की वेबसाइट (http.pension.raj.nic.com) पर बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के डाटा का प्रतिदिन सत्यापन करें। आपके सत्यापन के उपरान्त ही बायोमेट्रिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का डाटा बैंकों के उपयोग के लिए उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(के.के. गैडियोक)

निदेशक